DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान NEWSPAPERS--DATED बुधवार, 26 अक्तूबर 2022

गांव विरोधी प्रावधान हटाने के लिए अभियान चलेगा

■ दिल्ली ग्राम पंचायत संघ ने नांगलोई में बैठक में लिया निर्णय

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली ग्राम पंचायत संघ ने गांवों से जुड़े विभिन्न मसलों के समाधान के लिए मंगलवार को नांगलोई में बैठक की। इस दौरान डीएमसी व डीडीए के एक्ट से गांव विरोधी प्रावधानों को हटाने के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया।

संघ ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि वह डीडीए व एमसीडी के प्रमुख है और इन दोनों निकायों के एक्ट में बदलाव की चल रही प्रक्रिया के दौरान सभी गांवों को राहत देने का कार्य करें। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि निगम की ओर से वसूले जाने वाले सभी प्रकार के टैक्स (संपत्ति कर, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज आदि) से गांवों को मुक्त किया जाए। गांवों को भवन उपनियमों के दायरे से बाहर रखा जाए और गांवों को व्यवसायिक श्रेणी में शामिल किया जाए। इन प्रावधानों के बाद गांव वालों की जिंदगी सुगम हो जाएगी और गांवों का विकास भी हो सकेगा। वहीं 360 खाप के सुरेश शौकीन एमसीडी के अधिकारियों के सेमी पक्के व पक्के मकान में फर्क नहीं होने के तर्क पर सवाल उठाया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। बुधवार • 26 अक्टूबर • 2022

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

एमसीडी टैक्स से गांवों को मुक्त किया जाए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली ग्राम पंचायत संघ ने गांवों से जुड़े विभिन्न मसलों के समाधान के लिए मंगलवार को नांगलोई में बैठक की। बैठक में डीएमसी व डीडीए एक्ट से गांव विरोधी प्रावधान हटाने के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया कि वह डीडीए व एमसीडी के प्रमुख हैं इसलिए दोनों निकायों के एक्ट में बदलाव की चल रही प्रक्रिया के दौरान सभी गांवों को राहत देने का कार्य करें।

डीएमसी व डीडीए एक्ट में संशोधन के दौरान गांव विरोधी प्रावधान हटाए जाए

दिल्ली ग्राम पंचायत संघ ने एलजी से किया आग्रह

इस अवसर पर पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले संपत्तिकर, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज आदि से गांवों को मुक्त किया जाए। इसी तरह गांवों को भवन उपनियमों के दायरे से बाहर रखा जाए और गांवों को व्यावसायिक श्रेणी में शामिल किया जाए। इन प्रावधानों के बाद गांव वालों की जिंदगी सुगम हो जाएगी और गांवों का विकास भी हो सकेगा। 360 खाप के सुरेश शौकीन ने कहा कि निगम ने सिविक सेंटर जैसी बहुमंजिला इमारत टुकड़ी से क्यों नहीं बनाई। अगर इसे टुकड़ी से बनाते तो यह जल्दी ही नहीं, सस्ती भी बनती। ऐसे तर्क से टुकड़ी के मकान बनाने वालों का मजाक बनाया जा रहा है। उनसे पॉश कॉलोनियों के पक्के मकानों की तरह टैक्स वसूलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह के मकान ज्यादातर गांवों में ही बने हुए हैं।

संघ के पंच प्रमुख सुनील शर्मा मादीपुर व शिवकुमार यादव शकूरपुर ने कहा कि हमारी कृषि भूमि का कौड़ियों के भाव अधिग्रहण करके निगम व डीडीए अरबों रुपए कमा रहे हैं और किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि तुरंत निगम व डीडीए एक्ट से सभी गांवों को सभी टैक्सों से बाहर रखने का प्रावधान किया जाए।

अमर उजाला

डीएमसी व डीडीए एक्ट से गांव विरोधी प्रावधान हटाने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली ग्राम पंचायत संघ, दिल्ली प्रदेश ने डीएमसी व डीडीए के एक्ट से गांव विरोधी प्रावधान को हटाने के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। संघ ने गांवों से जड़े विभिन्न मसलों के समाधान के लिए मंगलवार को नांगलोई में बैठक की। इस दौरान उपराज्यपाल से आग्रह किया कि वह डीडीए व एमसीडी के एक्ट में बदलाव की चल रही प्रक्रिया में सभी गांवों को राहत देने की पहल करें। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि एमसीडी की ओर से वसूले जाने वाले संपत्ति कर, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज आदि से गांवों को मुक्त किया जाए। इसके अलावा गांवों को भवन उपनियमों के दायरे से भी बाहर रखा जाए, वहीं गांवों को व्यवसायिक श्रेणी में शामिल करना चाहिए। ब्यूरो